अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 25.06.2012 का कार्यवाही विवरणः–

कार्यालय नगर परिषद् उदयपुर (राज.)

बैठक संख्याः–15

दिनांकः– 25.06.2012
वार :– सोमवार
समयः– दोपहर– 3.00 बजे

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक 25.06.2012 दोपहर 3.00 बजे समिति की बैठक समिति अध्यक्षा श्रीमति रजनी डांगी की अध्यक्षता में आरंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

1.	श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	उपसभापति एवं सदस्य
2.	श्री फूल सिंह मीणा	सदस्य
3.	श्री राजेश जैन	सदस्य
4.	श्री महोम्मद खलील	सदस्य
5..	श्री मुस्लिम अली बंदुकवाला	सदस्य
6.	श्री सत्यनारायण आचार्य	आयुक्त एवं सदस्य सचिव
7	श्री चतर सिंह	सहायक अभियंता
8.	श्री सिराजुद्दीन	सर्वेयर
9..	श्री करीमुद्दीन	सर्वेयर

सर्वप्रथम समिति अध्यक्षा श्रीमती रजनी डांगी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया ओर दिनांक 17.05.2012 की बैठक संख्या 14 की पुष्टि की गई। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार आंरभ की गई।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में/नियमन/नामान्तरण /लीज डीड के संबंधी पत्रावलियों पर विचार विमर्श किया व समिति द्वारा बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण किये गये तथा मौके पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। परिषद के आयुक्त एवं सदस्य सचिव द्वारा नियमन, नामांनतरण, लीज डीड विचाराधिन पत्रावलियों को समिति के समक्ष रख कर विस्तृत जानकारी दी गई। समिति में उपनगर नियोजक व सहायक अभियंता एवं दोनो सर्वेयर उपस्थित थे जिनके साथ समिति के सदस्यों द्वारा भी मौका देखा जाने पर तकनीकी राय से भी अवगत कराया।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 25.06.2012 का कार्यवाही विवरणः–

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
1.	19, ढेबर कॉलानी	श्री बाबू लाल पिता कल्याण जी मेघवाल	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री कल्याण मेघवाल पिता कालीदास के नाम पर है, प्रार्थीं ने उक्त भूखंड रिलीज डीड से प्राप्त किया है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने पीछे की तरफ सेट बेक में निर्माण कर रखा है। जिसका नियमन चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।
2.	73 हिरण मगरी से नं. 11	श्री मुकेश पारीख पिता श्री नवनीत लाल पारीख	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री श्री नवनीत लाल पिता राधाकिशन जी पारीख के नाम पर है, प्रार्थीं ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी द्वारा तलघर बिना स्वीकृति के एवं प्रथम तल पर साईड सेट बेक में विचलन किया है। जिसका नियमन चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बिना स्वीकृति बेसमेंट निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से तथा भूतल पर सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 25.06.2012 का कार्यवाही विवरणः—

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
3.	3, सेवाश्रम	श्री चन्द्र सिंह तलेसरा पिता डुंगर सिंह एवं श्रीमति कमला पति चन्द्र सिंह तलेसरा	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के लीज डीड हेतू आवेदन किया है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री स्वयं के नाम पर है। प्रार्थी ने प्रथम तल पर एवं द्वितिय तल पर निकासू रचना कर रखी है तथा द्वितिय तल बिना स्वीकृति के निर्माण कर रखा है। जिसका नियमन चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा द्वितिय तल का निर्माण बिना स्वीकृति के किया है। जिसकी शास्ती आवासीय आरक्षित दर से तथा निकासू जो भवन में शामिल कर लिया है। उसकी शास्ती आवासीय आरक्षित दर के दुगुने से वसूल करते हुए नियमन किया जावे तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।
4.	62, किशनपोल	शांता पति श्री नाथू सिंह चौहान एवं श्री मनोहर सिंह पिता नाथू सिंह चौहान	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण एवं लीज डीड हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री रामस्वरूप शर्मा के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी ने आगे के सेट बेक में एवं पीछे के सेट बेक मे विचलन किया है। जिसका नियमन चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 25.06.2012 का कार्यवाही विवरणः–

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
5.	14, किशनपोल	श्री वाहिद अली पिता श्री अहसान अली	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण एवं लीज डीड हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री श्रीमति नानू बाई पति श्री जियाउद्धीन पठान के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय पत्र एवं रिलीज डीड से प्राप्त किया है। प्रार्थी द्वारा पीछे एवं साईड के सेट बेक में विचलन किया है। जिसका नियमन चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।
6.	42, सेन्ट्रल एरिया	श्रीमति लेहरी बाई पति आशाराम साालवी	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण एवं लीज डीड हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री ऊँकार लाल पिता श्री उदय लाल सुथार के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी ने ग्राउण्ड फ्लोर पर बिना स्वीकृति के निर्माण किया है तथा सेट बेक में प्रोजेक्शन निकाल रखा है जिसका नियमन चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भवन रेखा के मध्य बिना स्वीकृति किये गये निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से तथा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 25.06.2012 का कार्यवाही विवरणः–

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
7.	38, सेन्ट्रल एरिया,उदयपुर	श्रीमति आनंद कुंवर राठौड पति विक्रमादित्य राठौड	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री श्री विक्रम सिंह पिता श्री रिछपाल सिंह एवं श्री रघुवीर सिंह पिता श्री गणपत सिंह के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी ने प्रथम तल बिना स्वीकृति के एवं भूतल एवं प्रथम तल पर सेट बेक में निर्माण कर रखा है। जिसका नियमन चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व नियमन के अलावा जो सेट बेक में निर्माण किया है। उसकी शास्ती आरक्षित दर से तथा प्रथम तल पर भवन रेखा के मध्य बिना स्वीकृति किये निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।
8.	83, रेती स्टेण्ड, उदयपुर	श्री भगवती लाल पिता अंबा लाल साहू	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के लीज डीड हेतू आवेदन किया है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड स्वयं के नाम पर है। प्रार्थी ने बेसमेंट मेजनाईन फ्लोर का अतिरिक्त निर्माण कर रखा है। जिसका नियमन चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त संपूर्ण योजना के सम्बन्ध में जो निर्णय किया जावेगा उसी अनुसार आगामी बैठक में निर्णय लिया जावे।
9.	1412 से नं. 5, उदयपुर	श्रीमति माया देवी पति श्री तेज शंकर शर्मा	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री महेन्द्र प्रसाद पिता श्री रामगोपाल शर्मा के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी ने आगे पीछे एवं साईड सेट बेक में निर्माण कर रखा है तथा निकासु रचना भी कर रखी है। जिसका नियमन चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा फ्रन्ट सेट बेक में जो रेलिंग लगा रखी है उसे तोडकर फोटो प्रस्तुत करने के पश्चात् सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 25.06.2012 का कार्यवाही विवरणः—

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
10.	796, से नं. 5, उदयपुर	श्री नरेश कुमार पिता किशनचन्द्र धर्मसालानी	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री रामचन्द्र शर्मा पिता श्री छम्मी लाल जी शर्मा के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी ने भूखंड बिना स्वीकृति के निर्माण कर रखा है तथा आगे एवं साईड सेट बेक में भी विचलन कर रखा है। जिसका नियमन चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भवन रेखा के मध्य बिना स्वीकृति किये गये निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से तथा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।
11.	461, से नं. 4, उदयपुर	श्री चैनराम बोड पिता श्री मोती जी	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के लीज डीड हेतू आवेदन किया है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड स्वयं के नाम पर है। प्रार्थी ने गैराज की जगह कमरा तथा साईड सेट बेक एवं पीछे के सेट बेक में निर्माण कर रखा है। जिसका नियमन चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि गैराज की जगह कमरे का निर्माण कर लिया है। जिसकी शास्ती 5000/— रूपये एवं सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि गैराज के ऊपर भविष्य में निर्माण नहीं करेगा तथा सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 25.06.2012 का कार्यवाही विवरणः–

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
12.	20, भट्ट जी की बाडी	श्री गोपाल गांधी पिता स्व. रूप लाल गांधी	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के नामान्तरण/उपविभाजन हेतू आवेदन किया गया है। आपत्ति आमंत्रित की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमति मणीदेवी पति स्व. श्री रूप लाल गांधी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड पारिवारिक समझौता पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध कुछ क्षेत्र में बिना स्वीकृति के निर्माण किया एवं पीछे के सेट बेक एवं साईड सेट बेक के कुछ हिस्से में निर्माण किया गया है। एवं गैराज को कमरे में परिवर्तित किया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं जो पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक छोडकर निर्माण किया गया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से राशि ली जावे एवं प्रार्थी से उपविभाजन शुल्क भी वसूल करते हुए किये गये निर्माण को नियमन किया जाता है तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।
13.	158, अलीपुरा	श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत पिता श्री भगवान सिंह शेखावत	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री गमेर सिंह पिता श्री हमेर सिंह राजपुत के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड हक त्याग पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी का प्रकरण दिनांक 06.03.2012 की अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया था।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मौके पर निर्मित भूतल एवं प्रथम तल के सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं भवन रेखा के मध्य बिना स्वीकृति किये गये निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल की जावे एवं रास्ते की ओर जो निकासु बना रखा है उसकी शास्ती आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर से लेते हुए किये गये निर्माण को नियमन किया जाता है तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 25.06.2012 का कार्यवाही विवरणः–

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
14.	156, अशोकनगर	श्री अजीत ठाकुर	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री अजित ठाकुर, प्रकाश ठाकुर, आशा ठाकुर पति किशन ठाकुर के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड हक त्याग पत्र से प्राप्त किया मौके पर प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध सामने के सेट बेक 21′–0″ के स्थान पर 16′–0″ सेट बेक छोडा गया व निकासु बरामदा भी बनाया गया। साईड सेट बेक 9′–0″ के स्थान पर 4′–0″ से 1′–10″ तक सेट बेक छोडते हुए निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी उपविभाजन भी कराना चाहता है। प्रार्थी के प्रकरण में दिनांक 25.08.2011 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति में प्रकरण रखा गया था। जिसमें उपविभाजन के सम्बन्ध में उपनगर नियोजक से राय मांगी गई थी। जिस पर उपनगर नियोजक द्वारा उपविभाजन करने की राय दी गई।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक में निर्माण किया गया है। जिसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध बिना स्वीकृति के निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जाकर नियमन किया जावे एवं उपविभाजन शुल्क वसूल करते हुए नियमन करने का निर्णय लिया गया तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 25.06.2012 का कार्यवाही विवरणः–

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
15.	भ.अ / 061 / 09–10 1, 1 ई, 1 एफ अशोनगर, उदयपुर	श्री राजेन्द्र कुमार, प्रभू लाल, मोहन लाल,दाखी बाई कुम्हार पति डालचंद कुम्हार	प्रार्थी को दिनांक 5.8.2008 को भूखंड संख्या 1, 1 ई, 1 एफ पर अलग – अलग स्वीकृतियां जारी की गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक में निर्माण किया एवं तीनों भूखंडों को शामिल मिला लिया गया जिस पर प्रार्थी ने नियमन हेतू पत्रावली लगाई गई जिस पर प्रार्थी के प्रकरण को भवन अनुमति समिति की बैठक दिनांक 24.7.09 में रखा गया एवं समिति द्वारा नियमन करने का निर्णय लिया गया एवं प्रशासनिक समिति में अनुमोदन हेतू लिखा गया एवं प्रार्थी को 22,26,262 / – रूपये का नोटिस भी दिया गया परंतु प्रार्थी के पडोसी श्री भोला राम की बार बार उजरदारी प्रस्तुत हो रही थी जिसे सूनवाई हेतू बुलाया गया था एवं सुनवाई की गई थी। प्रार्थी द्वारा न्यायालय में राशि बाबत वाद दायर कर दिया गया है। दिनांक 10.04.2012 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधिन है। निर्णय होने तक लंबित रखा जावे। अतः न्यायालय के आदेश दिनांक 13. 3.2012 को प्राप्त हुआ जिसमें आदेश दिया गया कि '' प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि अपराधों का शमन एवं समझौता समिति के समक्ष विवादित सम्पति के सम्बन्ध में लंबित प्रकरण के निर्णय तक अप्रार्थी विवादित सम्पत्ति की यथास्थिति बनाए रखे।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखंडधारी को` परिषद् द्वारा बार – बार नोटिस देने के बावजूद निर्माण कार्य बंद नहीं किया तथा भूखंड के भूतल पर शटर लगाकर दुकानो का निर्माण कर लिया। अतः उक्त प्रकरण को निरस्त करते हुए भवन को सीज करने की कार्यवाही हेतू राजस्व अधिकारी को सूचित किया जावे एवं उक्त निर्णय से न्यायालय को अवगत करवाया जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 25.06.2012 का कार्यवाही विवरणः—

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
16.	भ.अ / 20 / 12—11 432, भूपालपुरा, उदयपुर	श्री तख्त सिंह पिता नाना लाल कोठारी	मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध सामने के सेट बेक मे एवं साईड के सेट बेक में भूतल एवं प्रथम तल में निर्माण किया गया है। प्रार्थी नियमन कराना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।
17.	भ.अ / 53 / 11—12 3, हिरण मगरी से नं. 3, उदयपुर	मेसर्स गेटवे स्पेस रियलटर्स प्रा. लि डायरेक्टर श्री पदम कुमार पहलवानी	मौके पर तलघर, भूतल स्ट्रक्चर निर्माण किया गया है। प्रथम तल की छत का कार्य होना पाया गया है। पूर्व में दी गई स्वीकृति के अनुसार सेट बेक छोडे गये है। पूरब तरफ 10′—0′′ के स्थान पर 15′—0′′ सेट बेक छोडा गया है। जिस पर प्रोजेक्शन बना पाया गया। उत्तर व दक्षिणी ओर स्वीकृति में 3′—0′′ का प्रोजेक्शन दिया गया था। मौके पर एलीवेशन निर्माण के लिए 1′—0′′ अतिरिक्त निकासू रचना बनी पाई गई। फस्ट फ्लोर छत का शटरीग वर्क चल रहा पाया गया। उत्तर व दक्षिण में दी गई स्वीकृति के अलावा अतिरिक्त प्रोजेक्शन का नियमन बाबत प्रकरण प्रस्तुत है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूखंड पर पार्किंग के निकास आदि के सम्बन्ध में उपनगर नियोजक से विस्तृत रिपोर्ट लेकर मौका देखकर आगामी बैठक में रखा जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 25.06.2012 का कार्यवाही विवरणः–

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
18.	भ.अ / 178 / 10–11 1, फतेहपुरा, विधा भवन रोड,उदयपुर	श्री फखरूद्वीन, अब्बास अली, शौकत अली एवं हुजेफा अली पिता सैफुद्वीन जी	मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने स्टील्ड पार्किंग, भूतल + दो मंजिल आवासीय फलेट् का निर्माण किया गया है। प्रार्थी ने सेट बेक में स्टील्ड पार्किंग में पूरब तरफ 10′–0′′ के स्थान पर 7′–6′′ फीट तक सेट बेक छोडा गया है एवं भूतल में पूरब तरफ 10′–0′′ के स्थान पर 7′–6′′ फीट तक सेट बेक में निर्माण किया गया। दूसरी साईड 10′–0′′ के स्थान पर 5′–0′′ तक सेट बेक में निर्माण किया गया एवं पीछे की तरफ 10′–0′′ के स्थान पर 5′–0′′ तक निर्माण किया गया एवं दक्षिण तरफ 20′–0′′ के स्थान पर बालकीनी 2′–0′′ से 7′–0′′ तक सेट बेक में निर्माण किया गया एवं उत्तरी पडोसी का आपसी विवाद होने पर स्थगन आदेश भी लगा हुआ है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक मे किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए एवं आंतरिक परिवर्तन की शास्ती वसूल करते हुए किये गये निर्माण को नियमन करने का निर्णय लिया गया है। जिसकी सूचना न्यायालय को भी दी जावे एवं न्यायालय का निर्णय आने के उपरांत ही राशि जमा करने की कार्यवाही की जावे।
19.	भ.अ / 216 / 11–12 प्लाट नं. 120,121,122,140,141 माछला मगरा, उदयपुर	सचिव गुजराती समाज जरिये सचिव राजु भाई पटेल	पूर्व में गुजराती समाज भवन निर्माण के स्वीकृति नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा दी गई थी। उक्त स्वीकृति के अलावा साईड व पीछे सेट बेक में अतिरिक्त निर्माण कर विचलन होना पाया गया। जिसका नियमन का प्रकरण है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 25.06.2012 का कार्यवाही विवरणः–

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
20.	भ. अ/222/2011–2012 प्लाट नं. 11, मीरा मार्ग होटल, मीरा की गली के पास, सरदारपुरा, उदयपुर	श्रीमति दीपाली महियारिया एवं सुरेन्द्र सिंह महियारिया एवं श्री भूपेन्द्र सिंह महियारिया पिता स्व. सुरेन्द्र	मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध सामने के सेट बेक में 15′–0″ के स्थान पर 12′–6″ सेट बेक छोडा गया। साईड में 10′–0″ के स्थान पर 7′–8″ ईंची सेट बेक छोडा गया एवं साईड में 5′–0″ सेट बेक स्वीकृति अनुसार छोडा गया एवं पीछे की तरफ 10′–0″ के स्थान पर 8′–0″ सेट बेक छोडा गया है। सेट बेक में स्टोर बनाया गया एवं गैराज को भी स्टोर में परिवर्तित कर लिया गया एवं प्रथम तल में भी सेट बेक में निर्माण किया गया है एवं निकासु बनाया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि गैराज की जगह कमरे के निर्माण की शास्ती 5000/– रूपये भवन रेखा के मध्य प्रथम तल पर बिना स्वीकृति किये गये निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से तथा भूतल एवं प्रथम तल पर सेट बेक में किये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि गैराज के ऊपर भविष्य में निर्माण नहीं करेगा तथा सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।
21.	भ. अ/31/2012–2013 16, भामाशाह मार्ग, उदयपुर	श्री जयप्रकाश भण्डारी गावेर्द्धन पिता श्री गणेश लाल भण्डारी	प्रार्थी को पूर्व में परिषद् द्वारा भूतल + दो मंजिल की स्वीकृति दी गई र्थी एंव 2′–6″ निकासु की भी स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध कुछ क्षैत्र में प्रथम एवं द्वितिय तल में निकासु का निर्माण किया गया एवं निकासु को बंद बनाया गया एवं तृतीय तल संपूर्ण बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को पूर्व में परिषद् द्वारा भूतल + दो मंजिल की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध तृतीय मंजिल बिना स्वीकृति के बना लिया है। एवं कुछ हिस्से में निकासु बंद बना लिया गया है। जिसकी शास्ती आवासीय बाजार दर की 20 प्रतिशत से राशि ली जावे एवं आंतरिक परिवर्तन की शास्ती भी वसूल करते हुए किये गये निर्माण को नियमन किया जाता है तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 25.06.2012 का कार्यवाही विवरणः—

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
22.	47, डोरे नगर, उदयपुर	श्री राजेन्द्र मण्डोवरा पिता मदन लाल मण्डोवरा	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण एवं नियमन हेतू आवेदन किया है।आपत्ति प्रकाशन की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री अब्दुल सतार पिता कादर बख्श जी को पावर हाऊस कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी समिति लि. के द्वारा दिया गया था, प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। मौके पर भूतल + प्रथम तल स्ट्रक्चर निर्माण कर रखा है। जिसमे सामने के सेट बेक को कवर करते हुए बाउण्ड्री वाल के स्थान पर तीन पिल्लर खडे कर नाल एवं आर सी सी छत का निर्माण किया है तथा तीनों ओर सेट बेक में भी विचलन किया गया है। उक्त स्थल ले आऊट प्लान में उक्त भूखंड के सेट बेक सामने से 12′–0′′ व बकाया तीनों तरफ 7′–0′′ – 7′–0′′ छोडने का प्रावधान दर्शाया गया है। जबकि मौके पर उक्त सेट बेक का विचलन होना पाया गया। उक्त स्थल का बिना निर्माण स्वीकृति के सेट बेक का विचलन करते हुए भूतल + प्रथम तल निर्माण होने से उक्त स्थल को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 194(7) (एफ) के तहत संपूर्ण परिसर को अभिग्रहित किया गया। प्रार्थी उक्त निर्माण का नियमन कराते हुए अभिग्रहण से मुक्त करवाना चाहता है। पूर्व में दिनांक 10.04.12 को समिति में रखकर सामने के सेट बेक एवं नाल को हटाने हेतू निर्णय लिया गया। लेकिन प्रार्थी द्वारा इसके भी नियमन करने हेतू पुनः निवेदन करने पर पत्रावली निर्णयार्थ रखी गई।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति किये गये निर्माण की शास्ती लागत के 5 प्रतिशत से तथा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन कर नियमन की राशि जमा होने के पश्चात् प्रार्थी के परिसर को अभिग्रहण से मुक्त किया जावे तथा प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 25.06.2012 का कार्यवाही विवरणः–

पत्रावली संख्या भ.अ / 183 / 08–09 52, ए,सी न्यू फतेहपुरा श्री अब्बास अली पिता स्व. श्री सैफुद्धीन अली की पत्रावली में पुर्नगणना हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया पूर्व में दिनांक 10.04.12 के निर्णयनुसार राशि की गणना की जा चुकी थी। जिस पर दिनांक 25.05.2012 को प्रार्थी द्वारा पुनः जाँच हेतू लिखा गया। जिसे आयुक्त महोदय द्वारा भवन शाखा में उसी दिन भिजवाया गया। जिस पर दिनांक 07.06.2012 को पत्रावली जे ई न के पास भिजवाई गई। जिस पर किसी प्रकार की काई भी कार्यवाही जेईन द्वारा नहीं की गई। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रार्थी जानबुझकर राशि जमा नहीं कराना चाह रहा है और पुर्नगणना का बहाना कर पत्रावली लंबित कर रहा हैं तथा भूखंड पर वर्तमान में भूतल में दुकान भी बना कर व्यवसाय कर रहा है। अतः यह निर्णय लिया गया कि एक कमेटी बनाकर जिसमें श्री दिनेश श्रीमाली नेता प्रतिपक्ष, श्री प्रेम सिंह शक्तावत निर्माण समिति अध्यक्ष, श्री मुकेश पुजारी सहायक अभियंता एवं श्री प्रवीण बंसल कनिष्ठ अभियंता शामिल होंगे। जिन्हें सहायक अभियंता मौके पर ले जाकर संपूर्ण भवन के निर्माण के सम्बन्ध मे निकाली गई राशि की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात् निकली हुई राशि दिनांक 15.07.2012 तक प्रार्थी को जमा कराना होगा। यदि प्रार्थी उक्त दिनांक तक राशि जमा नहीं कराता है तो की गई कार्यवाही को निरस्त करते हुए प्रकरण के सम्बन्ध में न्यायालय में चालान प्रस्तुत करे।

समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि रेती स्टेण्ड व्यवसायिक योजना में न्यास द्वारा विक्रित दुकानों के भूखंड / निर्मित दुकानों जिनमे ंछत का अधिकार न्यास का हैं एवं इन दुकानों की अनुज्ञायी ऊँचाई टाईप डिजाईन अनुसार 3 मीटर निर्धारित है। अब वर्तमान में उक्त योजना नगर परिषद् को हस्तान्तरित हो चुकी है। अतः इस योजना बाबत निर्णय लेने का अधिकार परिषद् में निहित है। समिति द्वारा मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस प्रकार के भूखंडो / दुकानों में भूखंडधारियों ने अनुज्ञेय ऊँचाई के विरूद्ध मेजनाईन फ्लोर पब्लिक प्रथम तल का अनाधिकृत रूप से निर्माण कर लिया है। योजना एवं निर्माण की स्थितिय दृष्टिकोण से इन्हें हटाया जाना संभव नहीं है। अतः परिषद् हीत में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि रेती स्टेण्ड योजना में स्थित दुकानों / भूखंडो जिनमें छत का अधिकार परिषद् का है। उनकी छत वाणिज्यिक बाजार दर से विक्रय कर नियमन / आवंटन किया जावे। जिनके नियम एवं शर्ते तैयार कर आगामी बैठक में रखी जावे।

उक्त प्रकरणों में मांग की जाने वाली नियमन राशि इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र जारी होने के 15 दिन में अनिवार्यतः जमा करानी होगी। अन्यथा प्रकरण निरस्त योग्य होंगे। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं कराने वाले प्रकरणों को निर्णयार्थ आगामी समझौता समिति में रखा जावेगा।

आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

अध्यक्ष
अपराधो का शमन एवं समझौता समिति

कमांकः– नपउ / भ.वि / 12–13 /

दिनांकः–

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ :–</u>

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर ।
2. श्रीमान् उप निदेशक महोदय, (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग , राज. उदयपुर ।
3. श्रीमेान् जिला कलक्टर, उदयुपर।
4. श्रीमान् सभापति / समिति अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, उदयपुर।
5. श्री / श्रीमति..समिति सदस्य।
6. सचिव नगर परिषद्, उदयपुर।
7. उप नगर नियोजक, नगर परिषद्, उदयपुर।
8. ....शाखा प्रभारी।
9. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद्, उदयपुर।

आयुक्त
नगर परिषद्, उदयपुर

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 25.06.2012 का कार्यवाही विवरणः–